

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 9439/16

दिनांक 20/10/16

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

वरुण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,

रोहिलखण्ड हास्पिटल,

बन्थरा, शाहजहाँपुर

विषय—वरुण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, रोहिलखण्ड हास्पिटल, बन्थरा, शाहजहाँपुर में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4567/71-2-15-एन-39/2015 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-02/Sep 2016-INC दिनांक 21.09.2016 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 60 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी०एन०एम० प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय-समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

4. चयन हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
7. उपचारिका प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियां भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैंकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
8. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।
9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/- प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/- प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है।
10. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र संख्या-02/Sep 2016-INC दिनांक 21.09.2016 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर सूची अनुमोदित करा लेंगे।
12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये।
प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क 90,000/- (रू.1,500/- प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

भवदीय,

साचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैंकल्टी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236800, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 9438/16

दिनांक 20/10/16

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
वरुण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग,
रोहिलखण्ड हास्पिटल,
बन्थरा, शाहजहाँपुर

विषय—वरुण अर्जुन स्कूल ऑफ नर्सिंग, रोहिलखण्ड हास्पिटल, बन्थरा, शाहजहाँपुर में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-4567/71-2-15-एन-39/2015 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-02/Sep 2016-INC दिनांक 21.09.2016 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 40 प्रशिक्षुओं को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग काँसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय-समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।

5. चयन हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियां भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैंकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
9. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2012 के क्रम में हेल्थ वर्कर (महिला)/ए0एन0एम0 की प्रशिक्षण अवधि 1½ वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष एवं प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है।
10. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षाएँ होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।
11. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 3,000/- प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 3,000/- प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है।
12. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के पत्र 02/Sep 2016-INC दिनांक 21.09.2016 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
13. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर सूची अनुमोदित करा लेंगे।
14. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रूपया 60,000/- (रू 1,500/- प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

भवदीय,

साचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैंकल्टी।

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवीं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

File No. : 18-31/12988

Date: 18-03-2020

To

The Principal,
Varunarjun College Of Nursing,
Varunarjun Medical College & Rohilkhand
Hospital Banthra, Shahjahanpur, City-
Shahjahanpur, Distt.- Shahjahanpur, Pin
Code- 242307, Uttar Pradesh.

Subject : Inspection U/s 13 of Indian Nursing Council Act, 1947- Suitability thereof:

Ref : Society/Trust : Varunarjun Trust

Parent Hospital : Rohil Khand Hospital, Shahjahanpur

Institution Code : 316474 , Programme Code : 3103152

Sir/Madam,

The Executive Committee of Indian Nursing Council on the basis of Inspection conducted on **12-02-2020 & 13-02-2020** and after ascertaining the availability of Infrastructure, Teaching and Clinical facilities has found the Varunarjun College Of Nursing, City-Shahjahanpur, Distt.- Shahjahanpur, Pin Code- 242307 **Suitable** to conduct **B.Sc(N)** with intake capacity of **40 (Forty)** seats for the academic year 2020-2021.

etc

Law

(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

Copy forwarded for information and necessary action :

1. The Secretary (Health) ,

Deptt. Of Health, Medical & F. W., Room
No 306, 3rd Floor Vikas Bhawan Govt. Of
Uttar Pradesh, Lucknow-226001. Uttar
Pradesh.

P.T.O.

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

2. The Registrar,
Uttar Pradesh Nurses & Midwives Council
5-Servapalli, Mall Avenue Road Lucknow-
226001 Uttar Pradesh.
3. The Registrar,
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand
University Pilibhit Bypass Rd, M.J.P
Rohilkahand University, Bareilly, Uttar
Pradesh-243006
4. Indian Nursing Council Guard File.

OC

Sarveet

(Lt Col (Dr) Sarveet Kaur)
Secretary